भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(202)एसपी/2009/खण्ड–द्वितीय/170 दिनांकः 10.09.2018

निमित्त,

मै0 रामसहाय गुर्जर एण्ड कम्पनी
वैशाली नगर, जयपुर रोड़, मालपुरा
जिला टोंक, राजस्थान – 304502

विषय : संस्थान के किन्ही पाँच ट्रेक्टरों को चलाने का कार्य जिसमें हैरो, प्लाऊ, कल्टीवेटर, लेवलर, सीडड्रील, थ्रेसर, कुट्टी की मशीन, टेंकर, ट्रोली, पोस्ट होल डिगर तथा अन्य यंत्रों को चलाने का कार्य तथा ट्रेक्टरों से सम्बन्धित पंचर, ग्रीस, साफ–सफाई, धुलाई इत्यादि से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 1206905 दिनांक 03.07.2018 के तहत दी गई दर ₹39999/- प्रतिमाह सभी करों एवं खर्चो सहित सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अतः निम्न लिखित नियम व शर्तो के आधार पर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक के लिए होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद रहने पर सक्षम अधिकारी महोदय अनुबन्धकर्ता की सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. आपको वैध लाईसेंस धारी 10 ट्रेक्टर चालकों को टेस्ट हेतु लाना होगा जिसमें से उपयुक्त पाये गये 5 चालकों को कार्य निष्पादित करने हेतु लगाना होगा। जिनके वैद्य चालक अनुज्ञा पत्र की प्रति अनुभाग में जमा करवाना होगा।
3. ट्रेक्टर/यन्त्रों को किसी भी स्थिति में खराब होने पर अविलम्ब कार्यशाला में मरम्मत हेतु पहुंचाने का कार्य ठेकेदार को करना होगा।
4. उपरोक्त दर्शाये गये कार्यो को करने हेतु संस्थान की ओर से कोई सहायक उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा एवं सभी कार्य अनुबन्धकर्ता को स्वंय ही करवाने होंगे।
5. अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित ट्रेक्टरों की लॉगबुक पर हस्ताक्षर तथा सत्यापित अविलम्ब करवाना होगा।
6. आपातकालीन परिस्थितियों में ट्रेक्टरों को चलाने की आवश्यकता होने पर अनुबन्धकर्ता को तुरन्त प्रभाव से संस्थान में उपस्थित होना होगा। अनुबन्धकर्ता को नियमित रुप से ट्रेक्टर में डीजल, ऑयल आदि की खपत कम करने के सभी उपायों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसके साथ–साथ नियमित रुप से ट्रेक्टरों की सामान्य देखभाल/रखरखाव जैसे हवा, साफ–सफाई, पंचर, ग्रीसिंग करना, आवश्यकता होने पर टायर बदलना व ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी यंत्रों की देखभाल, रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना आवश्यक है।
7. अनुबन्ध कार्य की अवधि में अनुबन्धकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य करते समय यदि मादक पदार्थो का उपयोग करते हुए देखा गया/पाया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

कटौतियाँः–

7. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे, कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति कों नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

<u>अनुबन्ध कार्य की नियम व शर्तें:</u>

9. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
10. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
12. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

13. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
14. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
16. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
17. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
18. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
20. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
21. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(हर्षित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, फार्म अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करले कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों पर उनकी उपस्थिति में कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुए किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठेकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करें। सक्षम अधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि अनुबन्ध के दौरान किये जाने वाले कार्यो की मोनिटरिंग अच्छी प्रकार से की जावें।
2. आहरण व संवितरण अधिकारी
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सर्तकता अधिकारी
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू.
7. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ तीन माह तक होने वाले व्यय रूपये 119997/– वित्तीय स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 6(202)एसपी/2009/खण्ड द्वितीय/ नोट सीट पेज नं.8 पर दिनांक 10.09.2018 को प्रदान की हैं। यह व्यय वित्त वर्ष 2018–19 में संस्थान को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित बजट से वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक अधिकारी